न्यायालय नायब तहसीलदार पीलवा....... (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का ...खारडोता...

बनाम

अप्रार्थी :- श्री धापूराम/मोतूराम जाट निवासी खारडोता अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या ...45.../2018

निर्णय —

दिनांक 4.07.2018

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का खारडोता ने अप्रार्थी के विरूद्व टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत 2075 मे सरहद खारडोता के खसरा नम्बर 538 मी. किस्म गै.मु. रास्ता मे रकबा ...0.0130 हैक्टे...बीघा भूमि मे मिट्टी डाल लगा कर अतिकमण किया है। जिस पर धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी ....—.... से नोटिस तामिल होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री ....—........ ने दिनांक ....—......... को उपस्थित होकर .... प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया ।

पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजातो एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी का मौजा खारडोता के खसरा नम्बर 538 किस्म गै मु. रास्ता में रकबा 0.0130 हैक्टे... बीघा की भूमि पर अतिकमण किया जाना प्रमाणित व सिद्ध होना पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिकमी घोषित किया जाता है।

अत : अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिकमित भूमि पर किये गये अतिकमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 6—...... रूपये प्रति बीघा की दर से अतिकमित रकबा 0.0130 हैक्टे... भूमि का 0.078 रूपये लगान का 50 गुणा 4— ...../- अक्षरे ...चार..... रूपये बतौर जुर्माना दण्डित किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 4.7.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नायब तहसीलदार पीलवा

उप तहसीलदार पीलवा